

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

जिल्ला प्रशासित शास्त्र - 1365-801

प्रारूप-30

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-*Chamoli*

No---

Dated---*31-8-2019*

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that *1.365* hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *UKPN KPG* (name of user agency) for *water supply* (purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of..... village (s) in..... tehsils. *Tharali Nagar Panchayat Tharali*

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *1.365* hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure *0.1* to ...annexure *0.3*.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section *1* *3*(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

[Signature]
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली

[Signature]
जिला अधिकारी
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-30.1

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Swati S. Bhadoriya (I.A.S) deputy commissioner, Chamoli on dated 31-8-2019 at time 15.00 Hrs in which application claiming rights in Tharali area measuring 1.365 hect for the construction of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Deopatala

Dated: 31-8-2019

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

विभागाध्यक्ष
Deputy Commissioner-Chairman
District Level Committee

It is further certified that Minutes of Meeting of Construction of Tharali Nagar Panchayat Water Supply Scheme regarding FRA is as following:

Sl. No.		Remark
(a)	The Complete process of identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 1.365 hectares of forest area civil, Soyam & reserve forest land proposed for Diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committer (s), Sub division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection Certificate concerned villages regarding construction of Water Supply Scheme is attached.
©	The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

सदस्य
जिला पंचायत थराली वार्ड एवं
जिला नियोजन समिति
थराली - चमोली
जिला पंचायत सदस्य

RAJ KUMAR SIDDWAN
SEVEN: SUB INSPECTOR
CIRCE
TEH
DISTRICT- CHAMOLI

Executive Engineer
अधिशारी अभियन्ता,
Uttarakhand Panchayat Nigam
निर्माण शाखा,
Karanprayag (Chamoli)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
कर्मप्रयाग (चमोली)
A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Niga

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाम रोपेस्वर
(चमोली)

उपनिर्देशिका
थराली

()
जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा

वन क्षेत्राधिकारी

नहरीशदार
थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पंचायत 0.825 है० आरक्षित वन भूमि, 0.54 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.54 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.965 है० वन भूमि) का उपखण्ड विकास प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 03.08.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री के.एस. मेरी उपजिलाधिकारी थराली अध्यक्ष
- 2- श्री अनुराग कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी थराली सदस्य
- 3- श्री विपिन कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी थराली सदस्य/सचिव
- 4- श्री मती कलावती देवी बी०डी०सी० क्षेत्र थराली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना हेतु.....है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पंचायत 0.825 है० वन भूमि 0.54 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, चमोली को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
तहसील- थराली
उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-
उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम

तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत परियोजना के निर्माण हेतु (0.825 है० आरक्षित वन भूमि, 0.54 है० सिविल सोयम भूमि, 0.54 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है०) अर्थात् कुल 1.365 है० वन भूमि का पेयजल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुंगी द्वारा दिनांक..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

डुंगी चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुंगी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.825 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम सचिव

मुहर सहित



ह०/-
वार्ड मेम्बर /सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि — 1.365 है०।

प्रारूप-30.4


परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थराली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हरताक्षर
①	श्री वृद्ध पाल सिंह ठाई	कृष्णपाल सिंह गुसाई सभासद थराली गांव, वार्ड-4, नगर पंचायत, थराली (चमोली)
②	हरीश पट्ट साहू वार्ड नं० 03	
③	वसन्ती शर्मा वार्ड नं० 1 मैदा	
④	सीमा देवी वार्ड नं० 2 देवराड़ा	सीमा देवी

अध्यक्ष
नगर पंचायत थराली



ह०/-
ग्राम प्रधान

